बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

संख्या 15/ए 2– 01/2014 पटना, दिनांक 2021

विषयः– राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी, इनकी नियुक्ति हेतु गठित होने वाली चयन समिति की संरचना में संशोधन एवं उनकी नियुक्ति संबंधी सेवा शर्त्त में आंशिक संशोधन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

बिहार राज्य में 13 परम्परागत विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इन परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सम्प्रति सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 में सन्निहित सेवा शर्त्तों के आलोक में अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही है।

2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या. F.25-1/2018(PS/MISC) दिनांक 28.01.2019 द्वारा विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानेदय में बढ़ोतरी करते हुए उसे प्रति व्याख्यान रू0 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) एवं प्रति माह अधिकतम रू0 50,000/– (पचास हजार) निर्धारित किया गया है। साथ ही यू0जी0सी0 द्वारा इनकी नियुक्ति हेतु चयन समिति की सरंचना में संशोधन किया गया है।

3. सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 में निम्न संशोधन किया जाता है :–

(i) अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों को प्रति व्याख्यान रू0 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) मात्र एवं प्रतिमाह अधिकतम रू0 50,000/–(पचास हजार) मानदेय अनुमान्य होगा।"

(ii) अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा निम्न वर्णित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा :–

(क) विश्वविद्यालय के कुलपति :– चयन समिति के अध्यक्ष।
(ख) कुलपति द्वारा नामित एक संबंधित विषय का एक विषय विशेषज्ञ :– सदस्य।
(ग) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष (जहाँ लागू हो) :– सदस्य।
(घ) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष :– सदस्य।
(ड0) अनुसूचित जाति/जनजाति/अत्यंत पिछडा वर्ग/महिला/दिव्यांग श्रेणी का एक शिक्षाविद् :– सदस्य।

(iii) अतिथि/अंशकालिक शिक्षक की नियुक्ति 11 माह के लिए की जा सकेगी एवं पुनः उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अगले 11 माह के लिए ऊपर वर्णित चयन समिति द्वारा सेवा नवीकृत की जा सकेगा।

4. उपरोक्त संशोधन संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

5. विभागीय संकल्प संख्या 1594 दिनांक 20.08.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/ए 2–01/2014 पटना, दिनांक 2021

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/ए 2–01/2014 पटना, दिनांक 2021

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/ए 2–01/2014 - 925. पटना, दिनांक 13.04. 2021

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के सचिव/माननीय मंत्री (शिक्षा विभाग) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/विधि कोषांग/निदेशक (उच्च शिक्षा)/उप निदेशक (बजट) उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उ0शि0)/ बजट पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना/ कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/प्रशाखा पदाधिकारी 14 एवं 15 (उच्च शिक्षा)/रोकड़पाल (उच्च शिक्षा) एवं सभी सहायक (उच्च शिक्षा निदेशालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव